

- ✓ यदि संस्थान का एम.आई.टी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी. से अनुबंधन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त तारतम्यिक संस्था का होगा और विविध रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उपरोक्तों को भेजा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित शिकायतों के लिए यदि कोई कदम उठाया गया है तब दूसरे कदम के संबंध में या, आवश्यकता पड़े तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रविष्टि निदेशालय द्वारा प्रेषित एवं प्रवेश हेतु आवेदनित कार्यवाही के संबंध में कोई भी कार्यवाही एम.आई.टी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी. से अनुबंधन समाप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की कार्यवाही के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत परीक्षाएं प्रेषित अनुबंधन प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रविष्टि संस्थान द्वारा प्रेषित हेतु शिकायत-समय पर निर्दिष्ट कार्यवाही आवश्यक दिवसों तक अनुबंधन संस्था को उपलब्ध होना।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूची भूमि, भवन, शिकायत-समय, उपकरण, कार्य किया जाने वाला सूचना, कार्यवाही सूचना आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान-व्यवस्था हेतु उपयुक्त कार्यवाही उपलब्ध कराने के साथ वैश्वीकरण के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रारंभिक संयोजित कार्यवाही को चलाने वाले हेतु निर्दिष्ट कार्यवाही को समस्त उपलब्ध कराने वाले अधिकारी, भूमि-भवन, कार्नेल, उपकरण इत्यादि का पूर्ण संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में प्रेषित किया गया है और परिषद की सुझाई कार्यवाही होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रेषित किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की समस्त कार्यवाही समाप्त किये जाने की कार्यवाही को करनी।
- ✓ संस्था के अधिकृत स्वीकृत निर्देश के अंतर्गत यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला उपकरण एवं अन्य कार्य-समय एम.आई.टी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी. के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त होता है तो संस्था को समस्त कार्यवाही समाप्त कर लेनी होगी।
- ✓ समस्त कार्यवाही का अनुबंधन व किये जाने के बाद सर्वोच्च का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुबंधन-समय कार्यवाही की जाएगी।

(Signature)

(एम.आई.टी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी. के अध्यक्ष)

सचिव

पु.सं. प्राथमिक-परिषद संयुक्त-2022
7818-8455

दिनांक: 26/08/2022

पता:-

आशुका-निदेश, ASHOKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT

(Signature)

(एम.आई.टी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी. के अध्यक्ष)

सचिव